



2026:AHC-LKO:20032

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1902/2026

लक्ष्मी कांत बाजपेई

.....प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं अन्य
..विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: शशांक तिलहरी, शुभम सिंह

विपक्षीगण के अधिवक्ता: जी0.ए0.

न्यायालय संख्या: 12

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए0जी0ए0 को सुना गया और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1, उन्नाव द्वारा वाद संख्या 695/2025 (राज्य बनाम लक्ष्मीकांत बाजपेई व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है। उक्त आदेश के माध्यम से संबंधित न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जहाँ वर्तमान में विचारण लंबित है।
3. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी। चूंकि आवेदक विदेश जाने का इच्छुक था, उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदक ने उक्त मामले में जमानत प्राप्त नहीं की थी। आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 5362/2024 दायर किया था, जहाँ यह बचाव लिया गया कि जब तक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक जमानत के लिए आवेदन नहीं करता और उसे जमानत नहीं मिल जाती, तब तक विचारण न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। आवेदक ने दिनांक 11.06.2024 के आदेश के अनुसार उक्त आवेदन वापस ले लिया था।

इसके बाद, आवेदक ने पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 5412/2024 दायर किया, जिसे 'सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो व अन्य' (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5191/2021) के मामले में निर्णय का लाभ देते हुए 13.06.2024 को निस्तारित किया गया। इसके आलोक में, आवेदक ने जमानत हेतु आवेदन किया और विचारण न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद, आवेदक ने पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि वह व्यावसायिक उद्देश्यों और अपनी बेटी से मिलने हेतु यू0एस0ए0 जाना चाहता है। उक्त आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदक ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने के उद्देश्य से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए थे।

4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, परंतु विदेश मंत्रालय ने स्वयं दिनांक 06.12.2024 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर इस धारा के दायरे को स्पष्ट किया है:

"8. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए संबंधित अदालत से अनुमति/एन0ओ0सी0 मांगने का कोई प्रावधान नहीं है; इसके बजाय यह भारत से प्रस्थान करने की अनुमति है। यदि आवेदक निर्धारित दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ है, तो पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण (PIA) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 के तहत अपील के प्रावधानों के साथ इनकार करने का आदेश जारी कर सकता है।"

5. इसी आवेदक द्वारा धारा 482 के अंतर्गत दायर एक अन्य आवेदन संख्या 10778/2025 पर इस न्यायालय ने 30.01.2026 को विदेश मंत्रालय के उक्त कार्यालय ज्ञापन पर विचार करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था, और आवेदक के पासपोर्ट को 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्देश देते हुए आवेदन स्वीकार किया था।
6. आवेदन संख्या 10778/2025 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 के तर्कों को अपनाते हुए तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केवल भा0दं0सं0 की धारा 323, 504 और 506 के तहत मामला लंबित होने के कारण दिनांक 06.10.2024 के परिपत्र के दायरे को कम नहीं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जा सकता है, विवादित आदेश दिनांक 06.05.2025 (अनुलग्नक-1) स्थिर रहने योग्य नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है।

7. संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 06.12.2024 के स्पष्टीकरण परिपत्र के अधिदेश के अनुसार तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश पारित करते हुए आवेदक को एन0ओ0सी0 (NOC) प्रदान करे।
8. वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।